उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 32/2018/386/92-2-18-160आरईएस/2009
लखनऊ :: दिनांक:: 15 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बलरामपुर के बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु आमंत्रित प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितताओं में प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बाबूलाल रावत, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-416/62-3-2010-160आरईएस/09 दिनांक 03.02.2010 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित की गयी। कालान्तर में उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को शासनादेश संख्या-16/2015/2058/92-2-15-160आरईएस/2009 दिनांक 17-12-2015 द्वारा श्री रावत पर कोई आरोप सिद्व न पाये जाने के द्रष्टिगत बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है। प्रकरण में श्री रावत से वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के अंतर्गत प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 07-12-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उनके निलम्बन अविध दिनांक 03-02-2010 से 22-07-2010 तक के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री रावत के उक्त निलम्बन अवधि को उनकी कर्तव्यार्थ सेवा में व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2018/386/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-3011/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/677-अनु0कार्य0/17-18 दि0 20-12-2017 के क्रम में।
2- श्री बाबूलाल रावत, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-गोण्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in